

—: परिपत्र :—

राज्य सरकार के लिए यह चिन्ता का विषय है कि बहुत से चिकित्सा अधिकारी अथवा इसके ऊपर सर के अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत करवाये अनुपस्थित रह जाते हैं। कई बार अवधि काफी लम्बी भी होती है। इसी प्रकार ऐसे मामले भी राज्य सरकार के ध्यान में आते रहते हैं जहां कि कुछ दिन का आक्रित्सक अवकाश स्वीकृत करवाकर चले जाते हैं एवं स्वीकृत अवकाश की अवधि समाप्ति के बाद कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं एवं अवकाश वृद्धि के प्रार्थना-पत्र आदि भिजवाते रहते हैं। इस प्रकार के लम्बे अवकाश अवसर उन परिस्थितियों में लिये जाते हैं जब किसी चिकित्साधिकारी अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण ऐसे स्थान के लिए हो जाता है जहां वह जाने का अन-इच्छुक हो। बिना पूर्ण में अवकाश स्वीकृत करवाये अनुपस्थित रहना अनुशासनहीन आचरण है जो निश्चय ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है जबकि अधिकारियों इस प्रकार का आचरण करते हैं तो नीचे के स्तर के कर्मचारीयों में भी अनुशासनहीनता बढ़ती है। विभाग में इस दुश्खिति को रोका जावे इसके लिए निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

- सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जावे कि आक्रित्सक अवकाश या अन्य अवकाश स्वीकृत करवाकर ही अवकाश पर प्रस्थान करें।
- यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वीकृत अवकाश पर बढ़ोतारी करनी आवश्यक हो तो बढ़ोतारी हेतु निवेदन अवकाश समाप्ति से पूर्ण ही अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किया जावे एवं इस निवेदन में अवकाश का पूर्ण पता भी दर्ज किया जावे। यदि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भी चाहिए कि अवकाश बढ़ोतारी प्रार्थना पत्र अथवा तार प्राप्त होते ही अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की सूचना तुरन्त ही आवेदनकर्ता को भिजवा देवे। यदि अवकाश अस्वीकृत किये जाने की सूचना भिजवा दी जाती है तो उसके बाद की अवधि अवकाश में नहीं बल्कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित ही मानी जावेगी।
- कई जगह यह भी देखा गया है कि उपभोग किये गये आक्रित्सक अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह प्रणाली भी उचित नहीं है क्योंकि इसमें एक दर्श की अवधि 15 की अंतिम सीमा से भी अधिक आक्रित्सक अवकाश का उपभोग हो जाता है जो नियमों के विपरीत है। उपार्जित अवकाश सदैव ही पूर्ण स्वीकृत प्राप्त करके एवं विधिवत रूप से एवं चार्ज का डस्टान्तरण करके ही लिया जाता है एवं अवकाश से लौटने पर पुनः चार्ज का हस्तान्तरण होता है। अतः उपार्जित अवकाश की स्वीकृति में निर्धारित प्रणाली ही अपनाई जावे।
- लम्बी अनुपस्थिति के मामलों में कई बार उपस्थिति देने के पश्चात चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रेरित किया जाता है एवं अस्वस्थता के आधार पर अवकाश की मांग की जाती है। बहुत से मामलों में ऐसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र झूठे होते हैं। विशेषकर ऐसे अवधियों के लिए दिये गये प्रमाण पत्र जबकि स्थानान्तरण आदेश प्रसारित होने के तुरन्त बाद कोई अधिकारी अनुपस्थित हो जाता है। अतः बीमारों के कारण यदि कोई अधिकारी अनुपस्थित होता है तो अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि वे किस बीमारी से पीड़ित हैं एवं किस चिकित्सक का ईलाज किस स्थान पर चल रहा है, ताकि अवकाश स्वीकारकर्ता यदि चाहे तो बीमारी के बावजूद तुरन्त जानकारी प्राप्त कर सके।
- यदि कोई अधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरन्त ही किया जाना चाहिए। अवसर यह देखा गया कि अनुपस्थित अधिकारी के कार्य पर उपस्थित हो जाने के पश्चात न तो समय पर अवकाश ही स्वीकृत किया जाता है एवं न ही अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है अथवा प्रस्तावित की जाती है। अनुशासनात्मक अधिकारियों एवं अवकाश स्वीकृत करने वालों को यह निर्देश है कि वे अवकाश स्वीकृत करने वाले लोगों नामे लें रखें।

6. राजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही आकस्मिक अवकाश को छोड़कर स्वीकृत किये जायेंगे और सभी राजपत्रित अधिकारियों की सेवापुरितका जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालय में रहेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी चिकित्सक का अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व उस स्थान की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था यथासम्भव करेंगे।
7. प्रायः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक द्वारा चिकित्सकों को आदेशों की प्रतीक्षा में करते हुए निदेशालय में भेजे जाने की प्रवृत्ति चल रही हैं जो कि नियमानुसार उचित नहीं हैं। इसलिए किसी भी चिकित्सक को आदेशों की प्रतीक्षा में भेजने से पूर्व सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावें और प्रारंभ कर चिकित्सक के विरुद्ध आरोप पत्रादि भी ए०पी०ओ० करने के तीन दिवस के अन्दर निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज० जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/२८०

दिनांक : २०/०१/२९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन०आर०एच०एम०/आर०एच०एस०डी०पी०/निदेशक, आई०ई०सी०।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-२) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, आर०सी०एच०/एड्स/ई०एस०आई०।
6. अति० निदेशक, राजपत्रित/प्रशासन/आर०सी०एच०/ग्रामीण स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रशासन/आई०ई०सी०।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त डिलींग सहायक, निदेशालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज० जयपुर।

13/01/29